तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-06-18	पत्रावली पेश हुई । वकिल पक्षकार हाजिर. वकिल पक्षकार को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रश्न पर सुना गया । ग्राम अजगरा की जमाबंदी 2066 से 2069 के खाता संख्या नया-पुराना 553 कुल किता 7 रकबा 23.07 सोहनलाल वल्द पन्नालाल के स्थान पर रामदेव हिस्सा 1/2, रामसरोवर हिस्सा 1/2 पी. भूरालाल का अंकन नामान्तरकरण सं. 1054 दिनांक 20-11-09 से दर्ज हो रखा है । प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थी के स्वर्गीय दत्तक पिताजी श्री सोहनलाल के नाम दर्ज है एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का है तथा अपने-अपने उक्त हिस्से वार ही कब्जे काश्त है । अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थी के स्वर्गीय दत्तक पिताजी श्री सोहनलाल जी के मृत्यु के पश्चात अवैध गैर कानूनी तरिके से अपने नाम करा लिया । प्रार्थीया प्रथम दृष्टिया केश है सुविधा का सन्तुलन भी इसके पक्ष में है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने का निवेदन किया । अप्रार्थीगण के जवाब पेश हुए । जिनकी प्रति वकिल प्रार्थी को दिलाई गई । बहस सुनी गई । वकिल वादी का कथन है कि मैं सोहनलाल पुत्र पन्नालाल का गोद पुत्र हूं तथा रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 27/12/90 को उप पंजियक सरवाड़ के कार्यालय में रजिस्टर्ड हो चुका है उसके आधार पर मैं प्रार्थी सोहनलाल का दत्तक पुत्र हूं प्रतिवादी अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने सोहनलाल की मृत्यु होने के बाद विरासत का नामान्तरकरण सं. 1054 दिनांक 20/11/2009 सोहनलाल को नाऔलाद फौत बताकर अपना नाम करा लिया है । अतः उन्हें जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे ।	उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर आदेश हुक्म में
-	प्रतिवादी - अप्रार्थी सं. 1 के लायक वकिल श्री अनुराग पाण्डेय ने अपनी बहस में बताया कि श्री मनोज कुमार शर्मा प्रार्थी रामदेव शर्मा का पुत्र मतदाता सूचि राजस्थान कि निर्वाचक नामावली 2014 भाग सं. 74 क्रमांक 365 पर मनोज पुत्र रामदेव आधार कार्ड सं. 7479, 7868, 7276 में मनोज कुमार पुत्र रामदेव तथा मा. शिक्षा बोर्ड सै. स्कूल परीक्षा 1991 के अनुसार मनोज कुमार शर्मा पुत्र रामदेव शर्मा दर्ज किया हुआ है। इससे साबित होता है कि प्रार्थी कभी भी सोहनलाल के गोद नहीं गया है। तथा प्रार्थी रामदेव पुत्र भूरलाल शर्मा का एक मात्र पुत्र है जो कानुनन अन्य व्यक्ति के गोद नहीं जा सकता अतः गोदनामा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। नामान्तकरण की अपिल भी माननीय न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 03-05-2016 को खारिज कर दी गई है। अतः इस प्रार्थना पत्र में कोई बल नहीं होने से खारिज किया जावे। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया वकिल पक्षकार की बहस पर गौर किया। गोदनामा दिनांक 27-12-1990 पंजियन दस्तावेज है तथा इस आधार पर प्रार्थी ने दत्तक पुत्र की हैसियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनों आवश्यक बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में सफल हुआ है। अतः प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 को पाबन्द किया जाता है कि व मूल वाद के निस्तारण तक ~~पाबन्द किया~~ प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा एवं दखलदांजी नहीं करे	

1ई/
उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

FORM NO- 3

फर्द अहकाम

(नियम26)

अज अदालत एस0डी0ओ0 मुकाम सरवाड़

बनाम

किस्म मुकदमा नं. सन्

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए।
-	गोद का प्रश्न मूलवाद में तय होगा यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अन्तिम निर्णायक नहीं है। हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद में तय होगा खर्चा फरिकैन अपना-अपना वहन करें। आदेश सरेइजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी Sdo Sarwar सरवाड़ (अजमेर)	